कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट

पत्रांक / क०ग०ब०वि०/2260-67/2024-25 दिनांक - 29/07/2024

विज्ञप्ति

शासन के पत्र संख्या-1553/68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2020 एवं महानिदेशक, निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के पत्रांक / के०बी०पी०ई० / शिक्षक/8362/2020-21 दिनांक 04.01.2021 व पत्रांक / के०जी०पी०ई०/1121/2023-24/ दिनांक 25.04.2023 के क्रम में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर चयन / पदस्थापन किये जाने के निर्देश दिये गये है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत को लम्बित रिक्त पदों पर तत्काल संविदा पर नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर पदस्थापित किया जाये जो विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 13553/22 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगी। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर कर्मियों के नवीन चयन/पदस्थापन/संविदा के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं० 1553/68-05-2020 दिनांक 11 दिसम्बर 2020 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट के अनुमोदन दिनांक 16.07.2024 के अनुपालन में जनपद चित्रकूट में संचालित 04 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नवत अस्थायी रूप से खुलित रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा पर चयन हेतु इच्छुक अर्ह महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 20.08.2024 तक निम्नलिखित पदों पर निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदित पदों का विवरण निम्नवत है-

क्र. सं.	पद	विषय	कुल पद	आरक्षण की श्रेणी				01.04.2024 को आयु	निर्धारित मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता
				अना०	ई० डब्ल्यू० एस०	पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति/ जन०जा०			
1	फुल टाइम टीचर	विज्ञान	2	-	-	-	2	25 से 45 वर्ष	24200.00	बैचे० बी० सी० वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० उत्तीर्ण।
		सामाजिक विषय	1	1	-	-	-			भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० उत्तीर्ण।
2	पार्ट टाइम टीचर	स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा	1	-	-	1	-	25 से 45 वर्ष	12181.00 (ई०पी०एक सहित)	बी०पी०एड०, सी०पी०एड० एवं डी०पी०एड० आदि उपाधि।
		कम्प्यूटर	1	-	-	-	1			कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्नातक
		कला एवं क्राफ्ट एवं संगीत/गृह शिल्प	1	-	1	-	-			सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि सहित कला / क्राफ्ट/ संगीत एवं गृह शिल्प से सम्बन्धित प्रशिक्षण उपाधि
3	लेखाकार	-	1	-	-	-	1	25 से 45 वर्ष	13673.00 (ई०पी०एक सहित)	स्नातक वाणिज्य उपाधि के साथ-साथ एम०एस०आफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। D.O.E.A.C.C. या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में 'ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता
4	सहायक रसोइया	-	1	1	-	-	-	25 से 45 वर्ष	6433.00 (ई०पी०एक सहित)	कक्षा-08 उत्तीर्ण तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

आवश्यक निर्देश-

1. आवेदन पत्र ए 4 साइज पेपर में होना चाहिए।
2. फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार, सहायक रसोइया, के पद पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जायेगा। समस्त फुल टाइम टीचर, सहायक रसोइया को विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य होगा।
3. समस्त अंकपत्र / प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. उपरोक्त सभी रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है. विषयवार एवं आरक्षणवार सीटों का अन्तिम निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन के संबंध में जिला चयन समिति का निर्णय अन्तिम निर्णय माना जायेगा तथा किसी भी अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को होगा।
5. के०जी०बी०वी० में ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे है, उन शिक्षकों को चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश सं० के०जी०बी०वी०/3-2/1916/2013-14 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी०ई०टी० की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। आवेदक को तत्सम्बन्धी प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. चयनोपरान्त नियुक्ति किसी भी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में किया जा सकता है।
7. समस्त चयनित शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मियों के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
8. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय एवं आरक्षित वर्ग लिखना अनिवार्य है।
9. आवेदन पत्र के साथ 25X10 से०मी० के दो लिफाफे, जिनमे प्रत्येक पर रु० 41-41 का डाक टिकट लगा हो एवं स्वयं का पता स्पष्ट एवं पूर्णरूप में लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. पूर्णकालिक शिक्षिका, एवं सहायक रसोईया को विद्यालय परिसर में ही स्वयं की व्यवस्था पर निवास करना अनिवार्य होगा।
11. शारीरिक अक्षमता, संक्रामक रोग एवं गम्भीर बीमारी से युक्त अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे। चयनोपरान्त सी०एम०ओ० से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता/निकाय / जाति प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। बी०एड० या समकक्ष की उपाधि एन०सी०टी०ई० से मान्य संस्था द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे।
13. शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों का सेवा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा। कार्य व व्यवहार अच्छा होने पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त अगले सत्र के लिए नवीनीकरण किया जायेगा।
14. सभी पदों हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। आयु की गणना 01.04.2024 से की जायेगी। सत्र 2020-21 में संविदा से वंचित रह गये शिक्षक / शिक्षिकाओं को अधिकतम आयु सीमा से छूट प्रदान की जायेगी किन्तु उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
15. अलग-अलग पद एवं विषय के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
16. एक लिफाफे में एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।
17. फुलटाइम टीचर, पार्टटाइम टीचर व लेखाकार के पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। सहायक रसोइया के पद पर चयन साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।
18. शारीरिक शिक्षा पद हेतु बी०पी०एड०, सी०पी०एड० तथा डी०पी०एड० अभ्यर्थियों हेतु टी०ई०टी० अनिवार्य नहीं होगी।
19. कला क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिये शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
20. कम्प्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षित सम्मलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी०जी०डी०सी०ए०/ बी०सी०ए०/ बी०एस०सी० कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी०ओ०ई०ए०सी०सी० या समकक्ष संस्था से 'ओ लेवल' / 'ए लेवल' डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
21. अन्तिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
22. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगें। अपूर्ण एवं अस्पष्ट रूप से भरे आवेदन, बिना फोटो के आवेदन तथा अपठनीय हस्ताक्षर होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
23. विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का घटत्तबढ़ व निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
24. किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक / चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयन समिति अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में यथोचित समाधान करेंगे।
25. आवेदन कर्ता को आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमे स्पष्ट उल्लेख होगा कि "मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री/श्री.....निवासी.....को भली-भाँति जानता एवं पहचानता हूँ।
26. विज्ञप्ति पदों से संबंधित आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 20.08.2024 को सायं 5.00 बजे तक ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, चित्रकूट में स्वीकार किये जायेंगे। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।

(बी० के० शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट

आवेदन पत्र का प्रारूप

यहाँ अपनी फोटो चस्पा करें

1. विज्ञापन संख्या.....
2. आवेदक का नाम.....
3. आवेदक के पिता का नाम .....
4. आवेदक के पति का नाम-.....
5. आवेदित पद का नाम- .....आवेदित विषय.....
6. विषय का नाम- .....
7. जन्म तिथि (शैक्षिक अभिलेखानुसार).....
8. दिनांक-01.04.2024 को आयु - वर्ष .....माह.....दिन..... .....
9. स्थायी पता .....
10. पत्र व्यवहार का पता .....
11. वर्ग (सामान्य, अनु० जाति, अनु०जनजाति, पिछड़ी जाति).....
12. अनुभव ..... (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
13. मोबाइल नम्बर (आवास).....मोबाइल नम्बर (व्यक्तिगत).....
14. शैक्षिक योग्यता का विवरण-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्व विद्यालय का नाम	वर्ष	समस्त विषयों के नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	कक्षा-8 (रसोइया पद हेतु)						
2	हाईस्कूल अथवा समकक्ष						
3	इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष						
4	स्नातक						
5	प्रशिक्षण योग्यता बी०एड०/ बी०पी०एड०/सी०पी०एड०/डी०पी०एड०						
6	टी०ई०टी० (उच्च प्राथमिक स्तर)						
7	अन्य योग्यता						

15. संलग्नको का विवरण-.....

घोषणा पत्र

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा अंकित उपरोक्त विवरण सत्य है चयन के पूर्व अथवा बाद में जाँचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी। पूर्व फार्मिक शिक्षिका/सहायक रसोइया के पद पर नियुक्ति पश्चात खंडि निष्कास विधालय में ही करूगीं यदि मेरे द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है तो मेरे विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही की जाती है तो इसके लिए मै पूर्ण रूप से उत्तरदायी होऊगीं। मेरा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर मेरे सविदा चयन को पति निरस्त कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी और इस सम्बन्ध मे किसी भी माननीय न्यायालय में वाद दायर नहीं करूगी।

दिनांक.....
स्थान.....
पता व मो०न०.....

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....